

## DECLARATION-cum-Supplier Selection Form

मैं..... (नाम) .....(सौर पम्प क्षमता) .....  
टाईप (ए.सी./डी.सी.) ..... सबटाईप (सरफेस/सबमर्सीबल) .....  
कन्ट्रोलर ( नॉर्मल/यूनिवर्सल ) का सोलर पम्प .....(कम्पनी का नाम) का स्थापित  
करवाना चाहता/चाहती हूँ।

प्रमाणित किया जाता है कि –

1. मेरी भूमि पर बिजली पंप का कोई कनेक्शन नहीं है।
2. मैंने पूर्व में विभाग की योजना के तहत सोलर पंप स्थापित नहीं किया है।
3. कैपेसिटी अनुसार पैनलबद्ध कम्पनीयों व उपभोक्ता देय राशि की सूचना विभाग की वेबसाईट [www.hareda.gov.in](http://www.hareda.gov.in) पर उपलब्ध है आप किसी भी कम्पनी का चयन कर सकते हैं परन्तु टैंडर की शर्तों के अनुसार L1 कम्पनी को 10 प्रतिशत एवं MSE को 25 प्रतिशत कार्य देना अनिवार्य है। तो आपकी चयनित कम्पनी बदली जा सकती है।
4. कन्ट्रोलर पम्प को सोलर पावर से चलाने का काम करता है। दो प्रकार के कन्ट्रोलर के साथ सोलर पम्प दिए जा रहे हैं। Normal Controller केवल पम्प को चलाता है और Universal Solar Power Controller (USPC) जब पम्प नहीं चल रहा हो तब बाकि घरेलू उपकरणों को चला सकता है। परन्तु USPC Controller पर कोई सबसीडी नहीं है और इसके लगाने में जो अतिरिक्त राशि लगती है वो किसान को देनी होगी। किसान आवेदन में Controller का चयन करें।
5. मैं विभाग की अनुमति के बिना ना तो सोलर पंप किसी को बेचूंगा/बेचूंगी और न ही सोलर पंप स्थापित जगह से उखाड़ूंगा/ उखाड़ूंगी। अगर मैं ऐसा करता/करती हूँ तो विभाग पूरी अनुदान राशि मुझसे वापिस लेने और उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।
6. मैं सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली / भूमिगत पाइपलाईन अपने खेत में सोलर पंप लगाने से पहले स्थापित करूंगा/ करूंगी (यदि अभी तक नहीं लगाया है तो) अगर मैं ऐसा नहीं करता/करती हूँ तो विभाग पूरी अनुदान राशि मुझसे वापिस लेने और उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।
7. मैंने इस योजना के दिशा – निर्देश व तकनीकी जानकारी पढ़ व समझ ली है।
8. मेरे द्वारा दी गई सूचना अगर गलत पाई जाती है तो विभाग अनुदान राशि वापिस लेने का हकदार होगा।

हस्ताक्षर .....

आवेदक का नाम.....

पता .....

दिनांक .....

मोबाइल .....

नोट:-

1. यदि कोई किसान के फर्जी हस्ताक्षर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि सी.एस.सी. केन्द्र/ सरल केन्द्र/ कम्प्यूटर सेंटर फार्म भरते समय इस फार्म में भरी जानकारी के अलावा किसी अन्य कम्पनी का ऑनलाईन फार्म में चयन करता है करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
3. यदि किसान को कोई जानकारी लेनी है तो अपने जिले के परियोजना अधिकारी से सम्पर्क करे।
4. कम्पनीयो की क्षमतानुसार सूची व योजना के दिशा निर्देश व तकनीकी जानकारी विभाग की वेबसाईट [www.hareda.gov.in](http://www.hareda.gov.in) पर उपलब्ध है।